निविदा फार्म

1. ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता का नामः ....
2. ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता का स्थाई पताः..
3. ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता का वर्तमान पताः...
4. ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता का मोबाइल नम्बरः...
5. निविदा दाता का आधार नम्बरः..
6. ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता का पेन नम्बरः..
7. उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों की संख्याः...
8. वाहन/वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बरः...
9. वाहन/वाहनों का मेक/मॉडलः..
10. वाहन/वाहनों की कमीशन तिथिः..
11. वाहन/वाहनों के बीमे की वैधताः..
12. वाहन/वाहनों का टैक्स परमिट संख्याः...
13. वाहन/वाहनों की फिटनेसकी वैधताः...
14. वाहन/वाहनों के टैक्स सम्बन्धी विवरणः...
15. वाहन उपलब्ध कराने की दशा में ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता द्वारा कितनी धनराशि में वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम वाहन हेतु धनराशिः......................द्वितीय वाहन हेतु धनराशि ....तृतीय वाहन हेतु धनराशि.......................

(उपरोक्त सभी प्रपत्रों की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।)

निविदा के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक,
लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि0,
केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग, लखनऊ
ई–मेल आई0डी0–mdlctsl2012@gmail.com

पत्रांकः5072 एलसीटी/18–संचा0/स्टाफ कार/टेण्डर/18 दिनांक 09, अगस्त, 2018

टेण्डर सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में मासिक किराये के आधार पर टैक्सी वाहनों को सम्बद्ध करने के परिपेक्ष्य में तीन महेन्द्रा टीयूवी/महेन्द्रा बोलेरो अथवा इनके समकक्ष अन्य छोटी वाहनों (टैक्सी) जिनमें 06 व्यक्तियों के बैठने का पर्याप्त स्थान हो, की आवश्यकता है। ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता एक, दो या तीन वाहनों हेतु निविदा डाल सकता है। निविदा ट्रेवेल एजेन्सियो/निविदा दाता से आमंत्रित की जाती है। इसमें प्राथमिकता ट्रेवेल एजेन्सी को दी जायेगी।

अनुबन्ध की शर्ते निम्नवत होगीः–

1. ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता के पास तत्काल में वाहन उपलब्ध होगा उसे वरियता दी जायेगी तथा लेटेस्ट मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्काल वाहन उपलब्ध न होने पर ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता को टेण्डर स्वीकृत होने पर 15 दिवस के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका टेण्डर निरस्त कर दूसरे इनसे उच्च निविदा दाता को मौका दे दिया जायेगा।
2. आलोच्य वाहन का उपयोग एलसीटीएसएल द्वारा चेकिंग कार्यो एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार किया जायेगा।
3. निविदाकर्ता द्वारा महेन्द्रा टीयूवी/महेन्द्रा बुलोरो अथवा इनके समकक्ष अच्छी दशा की वाहन उपलब्ध करानी होगी।
4. वाहन तीन वर्ष के लिये अनुबन्ध की जायेगी अनुबन्ध की जाने वाली वाहन की आयु अनुबन्ध दिनांक को अधिकतम 5 वर्ष (कमीशन की तिथि से) की होनी चाहिये।
5. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन टैक्सी परमिट से अनिवार्य रूप से आच्छादित होनी चाहिए।
6. वाहन से मासिक 2000 किलोमीटर संचालित कराया जा सकेगा एवं ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता जी0एस0टी0 तथा अन्य शासकीय कर जो प्रभावी होगे उनके भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा। मासिक किराये के रूप में जो भुगतान किया जायेगा उससे ईधन, चालक का वेतन/भत्ता, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट, एवं सर्विस टैक्स एवं अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
7. वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने तथा वाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
8. वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए।
9. निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर निविदाकर्ता द्वारा वैकल्पिक रूप से दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार चालक के अनुपस्थित होने पर दूसरे चालक की व्यवस्था भी निविदाकर्ता को तत्काल करनी होगी।
10. निविदाकर्ता द्वारा सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक का पूर्ण विवरण, आवासीय पता, मोबाइल फोन नम्बर, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित फोटोग्राफ सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
11. निविदाकर्ता अथवा चालक को किसी प्रकार का कोई अग्रिम धन देय नहीं होगा।

12. वाहन का अनुबन्ध 3 वर्षो हेतु किया जायेगा तथा 3 वर्ष की अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर अनुबन्ध आगामी 2 वर्षो के लिए समान नियम एवं शर्तो पर आगे बढाया जा सकता है। किन्तु अनुबन्ध की अवधि में वाहन की आयु अधिकतम 5 वर्ष (कमीशन तिथि से) ही होगी।
13. किराये पर ली गयी वाहन की लॉग बुक में यात्रा का विवरण अंकित किया जायेगा तथा सत्यापन उपरान्त मासिक आधार पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापन उपरान्त लेखा शाखा द्वारा परीक्षणोपरान्त बिल की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। बिल की धनराशि से नियमानुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौती कर काटी गयी धनराशि को आयकर विभाग में जमा करके प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
14. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने पर प्रबन्ध निदेशक, एलसीटीएसएल द्वारा किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
15. कम्पनी में लगाये गये वाहन का किसी भी समय किसी अवैध कार्य में संलिप्तता का पता चलने पर अनुबन्ध तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा एवं ऐसे किसी भी कृत्य के लिए ट्रेवेल एजेन्सी/निविदा दाता स्वयं जिम्मेदार होगे।
16. निविदा फार्म एवं शर्तो का उल्लेख एलसीटीएसएल की वेबसाइट www.lctsl.org एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय, गोमती नगर डिपो, दुबग्गा डिपो के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा।
17. यदि वाहन स्वामी द्वारा अनुबन्ध की किसी नियम/शर्तो का उलंघन किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर तत्काल अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

टेण्डर डालने की अन्तिम तिथि/समय– दिनांक 09.08.2018 से 17.08.2018 समय 14.00 बजे तक।

टेण्डर खोलने की तिथि/समय– दिनांक 17.08.2018 को 15.00 बजे

टेण्डर फीस– शून्य

टेण्डर सील बन्द लिफाफे में प्रबन्ध निदेशक, एलसीटीएसएल के कार्यालय में दिनांक 17.08.2018 समय 14.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में समस्त सूचनायें अंकित कर टेण्डर बॉक्स में डालना सुनिश्चित करें।

(आरिफ सकलैन)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः– समसंख्यक/समदिनांकित</u>

<u>निम्न को इस आशय से कि वह निविदा का व्यापक प्रचार–प्रसार करें तथा नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करने का कष्ट करें।</u>

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से कि वह इस निविदा सूचना एवं फार्म को परिवहन निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देने की कृपा करें।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त टेण्डर सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
3. सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी, एलसीटीएसएल।
4. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम, चारबाग/आलमबाग/कैसरबाग/रायबरेली/बाराबंकी/अवध डिपो, लखनऊ।
5. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, एलसीटीएसएल, गोमती नगर एवं दुबग्गा डिपो।
6. श्री योगेश गुप्ता, आयूषी कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस आशय से कि वह इस पत्र को एवं निविदा फार्म को एलसीटीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(आरिफ सकलैन)
प्रबन्ध निदेशक